"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2006—वैशाख 29, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये (3)
1.	श्री मंदीप सिह ब्रार	सरगुजा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री मुकेश कुमार	रायगढ़
3.	श्री ओमप्रकाश चौधरी	कोरबा
4.	सुश्री आर. संगीता	रायपुर
5.	श्री रजत कुमार	जांजगीर-चांपा
6.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	दुर्ग
7.	श्री एस. प्रकाश	बस्तर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक 348/290/2006/1-8.—श्री पी. सी. मिश्रा (भा.व.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 1-5-2006 से 12-5-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30 अप्रैल 2006 एवं 13, 14 मई 2006 की सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. मिश्रा को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक 350/261/2006/1-8.—श्री एन. के. भट्टर (रा.प्र.से.) रजिस्ट्रार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर को दिनांक 1-5-2006 से 9-5-2006 तक 9 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर को पुनः रजिस्ट्रार, छ. ग., सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्टर (रा.प्र.से.) रजिस्ट्रार, सामान्य प्रशासन विभाग को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. इनके अवकाश अवधि में श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री भट्टर का कार्य भी करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भट्टर, अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ मंत्रालय पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 8-5-2006 से 19-5-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 7, 20 एवं 21-5-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2006

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से., सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 27-4-2006 से 6-5-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 7-5-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक 192/13/ऊर्जा/06.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत है. इस स्थिति के प्रकाश में, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज डे, मुख्य अभियंता, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को आगामी आदेश तक सदस्य (पारेषण व वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से ज़ारी की जायेंगी.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/06.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र ''पुलिस शाखा'' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रतन लाल	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (आई. पी. एस.)
2.	श्री सुन्दर राज	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (आई. पी. एस.)
3.	श्री डी. रविशंकर	उप पुलिस अधीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष अत्रे, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2006

क्रमांक 4668/डी-/ग्राम न्याया./छ. ग./2006—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2000 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक डी/1449/21-अ/प्रारुपण/छ.ग./2001, दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 40 में कॉलम 4 के खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

   "(11) हरदास"

2. उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 46 में कॉलम 4 के खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

   "(11) अकलवारा"

Raipur, the 5th May 2006

No. 4668/D/Gram Nyaya/C.G./2006.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 2000 the State Government hereby makes the following amendment in its department's notification No. D/1449/21-Praroopan/C.G./2001, dated 30th March, 2001, namely :—

AMENDMENT

1. After clause 10 of column (4) in serial number 40 of the said notification, the following shall be inserted, namely ;—

   "(11) Hardas"

2. After clause 10 of column (4) in serial number 46 of the said notification, the following shall be inserted, namely :—

   "(11) Akalwara"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 10/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पासीद	1.82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर.	बिलासपुर पासीद मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 3 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अचानकपुर प.ह.नं. 41	0.202	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना के नहर नाली हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 16 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मोहगांव प.ह.नं. 59	1.681	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत बरगांव शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 17 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बिडोरा प.ह.नं. 57	1.320	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत बरगांव शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 18 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बिडोरा प.ह.नं. 57	0.983	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 19 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नारोधी प.ह.नं. 57	1.330	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नारोधी शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 20 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बरगांव प.ह.नं. 59	0.390	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत बरगांव शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 21 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भगवताटोला प.ह.नं. 59	1.322	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 22 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	हरदी प.ह.नं. 63	3.149	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	राजपुर व्यपवर्तन के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक-3 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-बरहोल, प.ह.नं. 61
मदनेश्वरपुर, प.ह.नं. 62
बकना, प.ह.नं. 61
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.293 हेक्टेयर
4.053 हेक्टेयर
2.122 हेक्टेयर
25.468

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65	0.03
72	0.58
110	0.40
136	0.11
138	0.02
175	0.15
40	0.04
845	0.057
105/1	0.30
928/1	0.40
929	0.04
106	0.03
108	0.39
109	0.06
135	0.13
139	0.01
154	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
200/2	0.16	180	0.04
111	0.05	181	0.11
112	0.04	182	0.08
128	0.13	183	0.16
133	0.06	184	0.15
134/13	0.13	185	0.39
134/6	0.21	189	0.20
129	0.03	192	0.06
134/3	0.06	190	0.03
134/5	0.21	198	0.15
134/11	0.06	199	0.41
153/3	0.21	409	0.09
178/1	0.20	201	0.03
176	0.30	203	0.40
130	0.19	204	0.11
131	0.13	202	0.03
134/4	0.05	396	0.16
134/9	0.20	406/1	0.23
148	0.06	462	0.12
149	0.21	463	0.05
153/1	0.14	517	0.30
178/2	0.20	471/1	0.02
894	0.10	408	0.35
134/1	0.12	844	0.04
134/7	0.09	513	0.05
134/12	0.06	387	0.02
153/2	0.14	392/1	0.15
134/2	0.08	191	0.41
134/8	0.05	412/1	0.02
134/10	0.14	451	0.12
143	0.15	460/2	0.14
150	0.78	449	0.05
144	0.06	394	0.12
146	0.09	435	0.17
147	0.17	928/2	0.01
151	0.09	410	0.09
174	0.45	452/1	0.07
169	0.44	450/2	0.056
197	0.26	461/1	0.28
171/2	0.06	460/2	0.13
171/3	0.05	460/3	0.11
179	0.17	499/1	0.18

(1)	(2)
1063	0.05
1064	0.03
1065	0.02
498/1	0.010
1015	0.057
502/1	0.038
502/3	0.03
846	0.050
875	0.025
814/1	0.17
878/2	0.02
815	0.005
819	0.096
820	0.07
823	0.025
835	0.12
841	0.05
848	0.05
849	0.052
859	0.07
872	0.06
873	0.005
886	0.320
874	0.195
876	0.03
883	0.44
1013	0.11
1016	0.135
1025/1	0.03
1057	0.09
1025/2	0.02
1028	0.029
1075	0.060
1061	0.100
1066	0.005
1074	0.137
1091/1	0.002
1092	0.033
1097	0.011
1091/2	0.025
1093	0.025
1098	0.057
1107	0.165
407/2	0.31
406/2	0.23
498/2	0.05
504	0.090
510	0.038
502/6	0.025
850	0.02
1069	0.02
390	0.09
395	0.015
योग 154	19.293

नगर/ग्राम-मदनेश्वरपुर, प.ह.नं. 62

(1)	(2)
747	0.005
847	0.01
963	0.064
813	0.01
752	0.02
753	0.055
754	0.005
756	0.058
757	0.041
759	0.102
760	0.005
762	0.01
814	0.105
833	0.058
970	0.01
972	0.086
1447	0.064
1448	0.024
834	0.01
838	0.005
835	0.10
836	0.01
837	0.10
844	0.005
846	0.05
848	0.052
849	0.098
852	0.025
853	0.025
854	0.025
855	0.079
964	0.032
966	0.012
973	0.054

(1)	(2)
976/1	0.01
975	0.01
974	0.03
1009	0.104
1468	0.057
3958	0.108
1008	0.01
1012	0.055
1489	0.01
1490	0.096
1491	0.012
1011	0.09
1398	0.02
1404	0.030
1405	0.038
1408	0.038
1409	0.025
1410	0.040
1450	0.172
1406	0.03
1407	0.045
1444	0.076
1445	0.057
1424	0.095
1470	0.03
1425	0.01
1467	0.025
1469	0.005
1428	0.155
1463	0.123
1435	0.236
1446	0.05
1461	0.03
1483	0.03
1462	0.015
1476	0.20
1477	0.038
1478	0.057
1480	0.105
1484	0.02
1485	0.01
1486	0.02
1493	0.038
1521	0.044
1522	0.035
1523	0.005
3960	0.10
योग 81	4.053

नगर/ग्रीम-बकना, प. ह. नं. 61

(1)	(2)
308	0.033
348/1	0.243
309	0.115
310	0.115
311	0.096
345	0.192
346/3	0.102
407/3	0.08
371/2	0.019
407/2	0.08
348/2	0.010
350	0.058
349	0.025
486	0.051
371/4	0.064
407/1	0.077
376	0.03
378	0.018
379	0.018
380/4	0.077
391/1	0.057
392	0.327
487	0.128
499	0.102
377	0.005
योग 25	2.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरहोल जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 फरवरी 2006

क्रमांक 104.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117	0.061
	122	0.101
	123	0.049
	115	0.081
	124/1	0.024
	124/5	0.032
योग	6	0.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिवनी डि.ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 9 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव खुर्द. प.ह.नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.662 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	72	0.049
	71	0.049
	74/2	0.057
	74/3	0.057
	65	0.263
	64/1	0.194
	63	0.049
	61/1	0.065
	61/3	0.065
	59	0.146
	98/1	0.012
	99	0.372
	492/1	0.134
	492/2	0.150
योग	14	1.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवागांव व्यपवर्तन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवीरधाम, दिनांक 21 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 11 अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगीबहरा, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.429 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
197	0.141
83	0.647
186/4	0.169
187/2	0.263
80	0.056
192/7	0.016
187/1	0.137
योग	1.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन के अंतर्गत बांध पार एवं डुबान.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/18-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-कोदवा, प.ह.नं. 14/31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.207 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1105	0.016
1106	0.162
1108	0.045
1118/2	0.061
1118/4	0.061
1118/3	0.089
1119/1	0.008
1120	0.214
2458	0.061
2459	0.016
1122	0.008
1123	0.057
1129	0.089
1126, 1127	0.012
1128	0.182
1130/2	0.057
1131	0.077
1132	0.032
1133	0.065
1134	0.020
1170/1, 1172/1	0.170

(1)	(2)
1339	0.008
1347/2	0.048
1170/2, 1172/2	0.093
1171/2	0.012
1321/2	0.283
1340	0.117
1342	0.121
1343	0.008
1345	0.008
1346	0.089
1347/1	0.049
1356/2	0.008
1357	0.101
1359	0.012
1358/2	0.097
1360/1-2	0.061
1361	0.016
1508	0.097
1509	0.089
1510	0.174
2460	0.061
2461	0.008
2462/1	0.073
2462/2	0.045
2497	0.024
2463	0.105
2496	0.061
2501	0.178
2502	0.065
2503	0.012
2507	0.101
2504	0.040
2522	0.101
2523	0.061
2524	0.121
2525, 2526/1	0.150
2528	0.008
योग	4.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोनी उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/19-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीडीह, प.ह.नं. 18/36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.942 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
81/1	0.283
21/1	0.077
22	0.020
23/1	0.008
8/2	0.186
21/2	0.121
9, 14, 15, 20/2	0.089
9, 14, 15, 20/4	0.158
योग	0.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केसला उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/21-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-खिलोरा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.022 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/2	1.65
625/10	0.70
130/1	0.31
133	0.13
625/6	0.07
625/9	0.72
625/2	0.12
615/1	0.12
625/11	0.11
615/2	0.27
622/1	0.14
622/2	0.36
623	0.22
866/1	0.09
624	0.01
625/1	0.24
625/7	0.25
851/1	1.00
845/3, 849	0.70
862/4	0.05
856	0.02
862/1	0.04
862/5	1.23
863/5-6, 863/1	0.16
862/3	0.01
866/2	0.38
867	0.72
868	0.12
योग	4.022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-केसली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-करही, प.ह.नं. 18/36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
672/5	0.040
672/8 ख	0.202
672/6	0.004
678/1	0.109
680	0.073
681	0.073
682	0.065
684/2	0.073
685	0.081
688/1	0.040
686	0.053
687/2	0.158
690	0.166
693/1	0.008
691	0.049
योग	1.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-केसला उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/4-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-पाटन, प.ह.नं. 20/38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.744 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1319/1	0.01
1320/1	0.23
1421, 1422/2	0.01
1319/2	0.03
1421/1, 1422	0.15
1320/4	0.08
1320/5	0.13
1406/4	0.01
1407	0.37
1413	0.04
1408	0.08
1412	0.06
1411/1	0.05
1415	0.01
1411/2	0.06
1421/4	0.09
1421, 1422/5	0.33
1422/4	0.10
योग	0.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चिचपोल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/9-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-हसदा, प.ह.नं. 11/40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
151	0.09
148/9	0.01
133/3	0.14
147	0.20
145	0.70
144	0.03
225/4	0.25
225/5	0.07
226	0.10
224	0.01
227/2	0.18
228	0.01
229	0.01
230	0.45
234	0.38
232/2	0.33
235/1	0.04
233/3	0.22
250	0.55
253	0.26
412/1	0.04
412/5	0.02
254, 255	0.39

(1)	(2)
412/4	0.01
333	0.05
334	0.05
335/2, 335/3	0.02
336	0.09
332	0.01
382	0.02
412/3	0.18
383	0.08
384	0.04
412/6	0.18
413	0.05
418	0.18
419	0.14
451	0.43
452	0.09
456	0.09
507	1.47
योग	3.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हसदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/12-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प.ह.नं. 19/37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.992 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.315
33	0.012
34	0.024
36	0.150
38/1	0.057
364	0.004
380/1	0.012
385	0.024
38/2	0.085
326/2	0.077
329/3	0.053
39	0.069
41	0.134
42	0.049
321	0.061
45/1	0.097
45/2	0.065
47/1	0.129
48	0.129
50/2	0.081
51	0.061
330	0.016
367/1	0.061
378	0.057
52/2	0.024
315/1	0.150
316	0.097
317	0.101
322	0.101
319	0.097
320	0.024
326/1	0.069
329/2	0.065
326/3	0.036
328	0.049
329/1	0.053
340	0.024
363	0.053
365	0.097
366	0.004
377	0.053

(1)	(2)
379/2	0.049
379/3	0.024
योग	2.992

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
खपरी उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/16-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-भाटापारा
(ग) नगर/ग्राम-बिजराडीह, प.ह.नं. 5/41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63/2	0.125
65/1, 3, 4	0.350
65/2	0.116
66/1	0.069
192	0.234
193	0.267
195/2	0.154
195/3	0.061
195/1	0.150
योग	1,526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
बिजराडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/17-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-भाटापारा
(ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प.ह.नं. 12/39
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/1 क, ख	0.093
13/2, 3, 4, 5	0.142
13/6	0.085
14	0.134
68/35	0.125
68/2	0.182
68/7	0.032
68/18	0.162
68/11	0.089
68/20, 68/22, 68/26	0.409
68/29	0.093
68/39	0.121

(1)	(2)
68/19	0.049
330/1	0.020
68/21	0.166
68/23	0.008
68/25, 26	0.263
68/31	0.198
103	0.190
104/1	0.166
104/2	0.235
105/2	0.077
105/4	0.129
316/1	0.109
329/2	0.097
336, 337/1	0.150
316/2	0.154
317, 318	0.069
327	0.008
328	0.036
336, 337/3	0.283
329/1	0.036
355/1	0.040
योग	4.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बोरसी उप-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/1-अ/82 वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-धारासीव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
890/1	0.07
854/3	0.07
891	0.04
1130	0.06
616, 617, 620, 621	0.74
519	0.13
473/5	0.22
896, 897	0.04
894	0.05
901/1	0.04
886	0.07
1087/1	0.27
883	0.16
1121	0.20
1120	0.04
853	0.08
856	0.12
1008	0.03
847/3	0.08
847/1, 848/1	0.15
1006	0.08
517/1	0.03
1005	0.09
1115	0.03
1003	0.03
1004	0.05
1010	0.07
1085	0.10
1107	0.05
512	0.10
1108	0.02
1106	0.07
1111	0.07
53	0.11
101	0.12
1109	0.08
1104/1	0.04
1112	0.12
1113	0.09
1114	0.09
1157/2	0.02

(1)	(2)
1157/3	0.03
508	0.05
1156	0.12
1134	0.08
1131	0.02
511	0.05
515	0.19
49	0.08
517/2	0.03
520	0.05
524	0.18
521	0.08
472	0.07
470	0.09
469	0.02
466	0.11
467	0.14
451/2	0.16
445/6	0.06
445/1	0.01
445/2	0.12
445/3	0.02
446	0.07
447	0.04
98	0.06
99/1	0.12
99/2	0.13
100	0.07
102	0.08
47, 48	0.03
103/2	0.02
50/1	0.11
1924/1	0.37
1924/2	0.02
1925	0.02
2015	0.19
799	0.05
योग 78	7.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के धारासीव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/1-अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी (पारा मुगुल भाठा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.89 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
169/1	0.55
185	0.05
186/38	0.02
169/3	0.03
169/4	0.13
169/2	0.03
169/5	0.13
170/5	0.03
183/9	0.03
168/11, 183/22	0.12
168/4, 183/15	0.03
168/12, 183/23	0.02
168/3, 183/14	0.08
168/7, 183/18	0.22
168/1, 183/3	0.02
181	0.02
168/2, 183/4	0.03
183/12	0.15
169/6, 170/15	0.20
योग 19	1.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गोलाझर जलाशय का मुख्य नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-देवरूंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
74/4क 76/3	0.26
74/3 77 78/1 79 80/3 घ / 1	1.46
74/4 76/1	0.41
69/1 74/1 ख 75/1	0.11
69/2 74/2 75/1	0.15
69/1 74/1 क 75/1	0.13
69/9 74/2 घ 75/4	0.11
97/4	0.08
69/8 74/2 ग 75/3	0.10
98/3	0.33
69/10 74/2 ख 75/5	0.34
97/5	0.28
69/12 74/2 च 75/6	0.30
1/1 च	0.20
1/1/य / 2	0.20
1/1 ज 1/1 य/1	0.20
98/1	0.03
1/1 ख / 3	0.33
101/6	0.51
97/1	0.18
101/3	0.10
97/2	0.03
98/2	0.18
101/2	0.24
103/1	0.38
103/2	0.37
97/6	0.07
98/4	0.23

देवरूंग माइनर

(1)	(2)
80/4 य / 2	0.03
92/7 ग	0.05
78/3	0.60
78/4	0.01
74/4 76/1	0.30
74/3 77 78/1 79 80/3 घ / 2	0.20

(1)	(2)
85/3, 86/3	0.16
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3 घ / 1	0.33
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3/घ / 3	0.43
78/2	0.25
92/21	0.10
80/4/ ग / 1	0.10
80/4 घ / 2	0.24
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3 घ / 4	0.05
योग 37	10.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गोलाझर जलाशय का मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलटिकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
580	0.162
583	0.045
584	0.024
585	0.024
586	0.045
587	0.045
589/2	0.024
589/3	0.024
589/4	0.045
590/1, 590/2	0.045
1035/1	0.024
1036	0.069
1040	0.024
1041/1	0.045
1042/1	0.045
योग 15	0.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के बेलटिकरी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/4-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-धारासीव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.603 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
454	0.016
455	0.174
456/1	0.004
456/2	0.004
457/2	0.032
457/3	0.016
458	0.094
522	0.008
527/2	0.016
528	0.057
536/2	0.069
538/2	0.056
539	0.041
530	0.016
योग 14	0.603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के बेलटिकरी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/5-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रिकोटार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.036
2	0.016
664	0.036
3	0.020
4	0.020
660/2	0.020
662/2	0.020
5, 6	0.020
7	0.238
43	0.094
44/3	0.036
47/1	0.024
47/2	0.024
47/3	0.024
600	0.026
606/1	0.036
604, 606/2	0.036
659	0.020
660/1	0.044
663/1	0.012
665, 666	0.028
672	0.028
673	0.036
668	0.036
669, 670	0.024
674	0.020
1053	0.020
671	0.020
699/3	0.079
699/6	0.020
699/7	0.024
699/14	0.024

(1)	(2)
699/11	0.036
701/1	0.028
702/1	0.085
703/2	0.036
699/1	0.028
योग 37	1.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के डोकरीडीह शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/6-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रिकोटार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284, 285	0.093
391	0.052
1041/1	0.070
390	0.128
1030/4	0.046
1030/1 क	1.710
1030/5	0.034
1031/1	0.407
1031/2	0.070
योग 9	2.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/7-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धारासीव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
520/1	0.047
520/2	0.046
520/3	0.047
539	0.144
533	0.036
549/5	0.048
549/3	0.048
549/4	0.048
551	0.028
556	0.040
560	0.112
562/1, 570/1	0.080

(1)	(2)
563	0.040
564	0.036
566/1	0.040
566/2	0.064
566/6	0.024
549/2	0.088
534/1	0.040
योग	1.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के ठाकुरदिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/8-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रिकोटार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.754 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
703/2	0.055
711	0.036
714	0.055
710	0.012
795/2, 800	0.066
709	0.089
716/4	0.040
716/2	0.013
716/3	0.047
719/2	0.028
720	0.068
718/3	0.038
750/1	0.052
750/2	0.062
751	0.036
752	0.045
753	0.198
799	0.150
805	0.024
806/1	0.089
806/2	0.092
807, 808	0.064
809/1	0.028
809/2	0.028
780, 781, 782	0.040
783	0.020
784	0.008
707	0.055
713	0.033
794/4	0.082
795/1	0.012
791	0.089
योग 32	1.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के जमगहन शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/9-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-भटगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1845	0.044
1844	0.151
1831/1	0.139
1817/2	0.053
1817/1	0.020
1831/2	0.032
1836/1	0.016
1836/2	0.016
1842	0.032
1840	0.020
1850/2	0.069
1846/1	0.057
1846/2	0.057
1847/2	0.036
1847/1	0.032
1848/2, 1852/2	0.094
1977/2	0.040
1977/3, 1975/1	0.094
1976	0.094
1989	0.024
1988/1	0.053
1988/2	0.053
2001/1	0.069
2001/9	0.161
2010/1	0.139
2011	0.114
2012/1	0.040
2012/2	0.045
1924/1	0.040
2013	0.074
2021	0.165
योग 31	2.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के भटगांव शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, विलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/10-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जमगहन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.974 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1239	0.092
1238	0.046
1236/1	0.029
1205	0.008
1205	0.104
1228	0.020
1229/1	0.024
1207	0.020
1206	0.040
1229/2	0.019
1211	0.098
1213/1	0.041
1213/2	0.041
1086/1	0.092
1088/2	0.006
1088/3	0.023
1087	0.023
1085/1	0.102
1085/2	0.032
1085/4	0.032
1020/2	0.046
1022/2	0.034
1002/3 , 1004/1	0.036

(1)	(2)
1002/2	0.004
1004/2	0.004
1004/3, 1002/4	0.015
1003	0.016
998/1	0.090
997	0.051
1002/1	0.046
996	0.102
841, 842, 840/1	0.069
837/2, 843/1, 844/1, 845/1, 847/1, 448/1	0.092
739/2	0.033
739/1	0.022
739/3	0.025
739/4	0.042
739/5	0.024
724/2, 740	0.092
741/1	0.024
723/1 ख	0.105
723/2	0.102
741/3	0.046
741/2	0.040
721	0.069
720	0.023
674/1	0.116
621/1	0.058
607/2	0.028
621/2	0.058
580/2/2, 581/2/3	0.116
618	0.037
608	0.069
673/1	0.020
615/2, 617/2	0.052
1019/2	0.039
481	0.237
योग 56	2.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ठाकुरदिया जलाशय के जमगहन शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/11-अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-गोलाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
444/1 य/3	0.17
44/1 य/6	0.17
44/1 म/6	0.17
146/1 क्ष/1	0.22
योग 4	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अमरूवा जलाशय के मुख्य नहर से चांदन वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/12-अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-अमरूवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
4/1, 6/5	0.03
6/3	0.20
6/1, 6/2	0.34
8/2	0.02
8/5	0.48
8/1	0.03
9/3	0.03
9/2	0.03
9/1	0.06
10/2	0.10
10/1	0.28
योग 11	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अमरूवा जलाशय के मुख्य नहर से चांदन वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 01/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-पवनी, प.ह.नं. 83

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412/1	0.011
412/2	0.012
408/17	0.101
योग 3	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तर्रा पवनी पहुंच मार्ग के कि.मी. 4/10 पर निर्माणाधीन कोल्हान नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 02/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-तर्रा, प.ह.नं. 82

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.321 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364	0.081
366	0.032
371	0.010
379	0.020
377/1-2	0.162
377/3	0.016
योग 6	0.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तर्रा पवनी पहुंच मार्ग के कि.मी. 4/10 पर निर्माणाधीन कोल्हान नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 03/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244/[illegible]	0.093
250/1, 251/1	0.101
250/2, 251/2	0.049
योग 3	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माना भटगांव, देवारभाठा मार्ग के कि.मी. 2/4 पर देवारभाठा नाला सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लिगियाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
117/4	0.15

(1)	(2)
117/5, 117/6 ख	0.15
128/1	0.02
128/2	0.13
129/1	0.02
133/2	0.20
134/1, 135/2	0.01
134/2, 135/3	0.01
148/2	0.09
योग 9	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2006

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जूना बिलासपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
110	$0.95\frac{1}{2}$
111	$0.05\frac{1}{2}$
योग 2	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2006

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
179/1	0.74
179/2	0.83
179/4	0.42
188	0.20
194/1	2.14
195/1	1.17
195/2	0.02
197	0.92
198	1.10
199/1	0.71
199/2	0.40
201/1	0.34

(1)	(2)
201/2	0.35
205/1	0.65
205/2	1.74
150/1, 162/2	0.20
150/2, 162/8	0.10
योग	12.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिगुआ जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ 82-2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.91 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
75/2	1.00
76	0.20
263	0.98
79/1	0.87
77/1	0.50
77/2	2.41
77/3	2.88
79/2	0.78
259/2	0.46
79/3	0.97
250	0.96
261	0.40
100/1	0.46
100/2	1.21
101/1, 4, 5	1.35
101/6	1.52
101/10	0.30
101/11	0.72
245	0.95
101/2	0.08
246	0.67
248	0.01
249	1.00
258	0.30
1/1	0.20
1/2	0.76
1/3	0.24
3/1	1.25
12/3	0.40
7	1.29
16/1	0.50
75/4	1.01
12/7	0.05
12/2	0.40
12/8	0.05
9/1	0.16
9/2	0.09
9/3	0.09
9/4	0.09
9/5	0.09
10	0.66
11	1.47
12/1	0.85
12/10	0.37
12/11	0.08
13	0.30
12/4	0.45
12/9	1.26
14	0.35
15/1	0.30

(1)	(2)
8/1	0.21
8/2	0.21
8/3	0.60
5	0.15
योग 54	34.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुवा व्यपवर्तन के एफलक्स बंड एवं डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 मई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-चोटिया, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.508 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1 (P)	0.437
56 (P)	0.648
57/2	0.097
143	0.21
156	0.354
12/1 क (P)	0.506
62	0.405
151 (P)	0.166
152	0.17
13/2	0.264
37/1	0.368
38/2	0.121
163	0.036
37/2	0.061
13/5	0.06
21/1 (P)	0.462
21/2	0.081
21/4	0.057
21/3	0.279
21/5	0.198
43/1 क (P)	0.708
22/1 क	0.405
57/1	0.486
129/1	0.251
130/1	0.008
22/1 ख	0.404
129/2	0.251
130/2	0.008
36/2	0.202
43/1 ख	0.174
57/1 ख	0.485
22/2	0.445
22/3	0.287
23	0.575
29	0.089
31	0.336
32	0.101
42	0.057
44	0.445
24 (P)	0.097
46	0.648
48/2	0.841
27	0.138
61/2	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
63 (P)	0.518	111 (P)	0.158
28	0.356	118	0.526
54 (P)	0.04	119	0.101
33	0.04	120	0.186
34	0.036	121	0.324
41	1.311	122	0.219
65 (P)	0.162	174/2	0.567
164	0.129	124	0.129
35/1	0.105	126/3	0.065
35/2	0.105	128/1	0.05
36/1	0.267	128/2	0.104
36/3	0.202	140	0.283
36/4	0.202	141	0.032
38/4	0.324	145	0.178
114/1 क	0.437	169/5	0.087
115 (P)	0.434	148 (P)	0.312
40/1	0.089	154	0.113
40/2	0.089	157/1	0.999
43/2 क	0.332	157/2	0.999
43/2 ख	0.332	162/2	0.324
43/2 ग	0.073	169/3	0.202
57/4	0.259	169/4	0.202
47	0.478	171 (P)	0.081
114/4	0.089	176 (P)	0.081
132/1 (P)	0.202	14	0.154
52/2 (P)	0.971	13/3	0.267
57/3	0.365	133/1	0.08
57/5 (P)	0.801	133/3 क	0.037
58/1 (P)	0.081	133/3 ख	0.065
105/1 (P)	0.023	133/3 ग	0.04
213	0.077	133/4 क	0.081
64	0.202	134 (P)	0.405
66/2 (P)	0.202	167	1.449
104/3 (P)	0.473	139	1.222
106/1	0.04	142	0.134
106/2	0.032	146	0.267
125	0.016	153	0.259
126/1	0.073	168/4	0.314
106/3	0.032	170/2	0.162
123	0.146	159/3 क	0.069
126/2	0.073		
106/4	0.166		
175 (P)	0.081		

(1)	(2)
159/3 ख	0.073
159/3 घ	0.012
159/3 ग	0.069
159/3 ङ	0.072
166/1 (P)	0.405
166/2	0.485
168/2	0.502
168/3	0.264
133/5	0.02
178/1 द	0.061
178/1 क	0.02
209	0.486
योग	37.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोयला उत्खनन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

कबीरधाम, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक/3160/वरि. लि.-1/2006.—जिले में हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध को ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों के प्रसार की रोकथाम करना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं डॉ. बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन संपूर्ण कबीरधाम जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के कवर्धा/पण्डरिया शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों एवं अन्य स्थलों में सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियों, मिष्ठान, मॉस-मछलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्ना रस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम नियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम, सहायक खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगरपालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के बस स्टैण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

बी. एल. तिवारी,
कलेक्टर.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2006

क्रमांक 902/न.ग्रा.नि./06.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में रतनपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 4562 न.ग्रा.नि./05/बिलासपुर दिनांक 23-11-05 द्वारा छ. ग. राजपत्र में दिनांक 3-2-2006 को किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रतनपुर निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदनुसार सम्यक् रूप से दिनांक 27-3-2006 को अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

रतनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम चपोरा एवं खैरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम खैरा, पोड़ी, घासीपुर, लालपुर, रतनपुर एवं रानीगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम रतनपुर, रानीगांव एवं भरदैयाडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	-	भरदैयाडीह, कलमीटार, सिलदहा, भैसाझार, रतनपुर, पोड़ी एवं चपोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल - नगर पंचायत कार्यालय, सभा भवन, रतनपुर.

Bilaspur, the 20th March 2006

No. 902/T & CP/06.—The existing land use maps and registers for the Ratanpur Planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of C. G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 4562 Bilaspur dated 23-11-05.

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use maps of Registers of Ratanpur. So prepared and published are duly adopted by the director, Town and Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the Notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and Register have been duly prepared and adopted on dated 27-3-06.

SCHEDULE

RATANPUR PLANNING AREA LIMITS

North - village Chapora and up to the Northern limits of village Khaira

East - village Khaira, Pondi, Ghasipur, Ratanpur and up to the eastern limits of village Ranigaon

South - village Ratanpur, Ranigaon and up to the southern limits of village Bhardaiyadih.

West - village Bhardaiyadih, Kalmitar, Sildaha, Bhaisajhar, Ratanpur, Pondi and up to the western limits of village Chapora.

The said adopted maps and Registers shall be available for inspections of general public at foldering place during office hour for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site - Nagar Panchayat Office Meeting Hall, Ratanpur.

जाहिद. अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2006

विषय :—उपाध्यक्ष (मण्डी) का निर्वाचन बाबत.

क्रमांक/531/म.नि./2005-06.—विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन अनुसार बिलासपुर जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रथम चरण हेतु

निम्नानुसार मण्डी समितियों में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन एवं प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ निर्वाचित हुए उपाध्यक्षों की जानकारी निम्नानुसार है :—

अ. क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम (3)
1.	कृषि उपज मण्डी-43 बिलासपुर	श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा
2.	कृषि उपज मण्डी-44 मुंगेली	श्री मंशाराम साहू
3.	कृषि उपज मण्डी-46 कोटा	श्री रियाज अहमद जुनजानी

हस्ता./-
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2006

संशोधित अधिसूचना

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ 67/05-06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम राबो, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ से पानी परिवहन हेतु ग्राम तमनार, तहसील घँरघोड़ा, जिला रायगढ़ तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 (इक्कीस) दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

संशोधित अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		पूर्व में प्रकाशित		
रायगढ़	घरघोड़ा	छर्राटांगर/21	कुल खसरा 20	1.360
		संशोधित कर पढ़ा जावे		
रायगढ़	घरघोड़ा	छर्राटांगर/21	कुल खसरा 35	2.029

हस्ता./-
सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th April 2006

No. 189/Confdl./2006/II-2-99/2001.—On the application dated 28-02-2006 of Shri V. N. Pandey, II Additional District and Sessions Judge, Durg requesting for change of his home District, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant permission to change his home District from Bilaspur to Kabirdham (Kawardha) with a direction that necessary changes be effected in all his records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilapur, the 4th April 2006

No. 51/I-7-3/2006 (Pt.-I).—In continuation of the Notification No. 5608/I-7-3/2006 (Pt.-I), Bilaspur, dated 21-11-2005, earlier issued by the Registry of the High Court regarding Vacations and Holidays for the High Court of Chhattisgarh for the Year 2006, it is hereby notified that 7th April 2006 is declared holiday on account of "Ram Navami" for the High Court and its Registry, instead of the holiday earlier declared for 6-4-2006. Further, it is notified that 6-4-2006 now shall be working day for the High Court and its Registry.

By the order of the High Court,
RAVI SHANKAR SHARMA, Additional Registrar (Estt.)

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 2055/तीन-6-2/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

अनु. (1)	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	सिविल जिला (4)
1.	श्री मंसूर अहमद, न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	सारंगढ़ (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर).	रायगढ़
2.	सुश्री प्रिसिल्ला एक्का, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	श्रीमती सरोजनंद दास, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	दुर्ग (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर).	दुर्ग
4.	श्री आलोक कुमार सिंह, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सक्ती (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर).	बिलासपुर
5.	श्रीमती कीर्तिदान खलखो, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	अंबिकापुर	सरगुजा
6.	श्री लीलाधर सारथी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	अंबिकापुर	सरगुजा
7.	श्रीमती सुनीता टोप्पो, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	अंबिकापुर	सरगुजा

Bilaspur, the 10th April 2006

No. 2055/III-6-2/2005.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Mansoor Ahmed, Judicial Magistrate First Class.	Sarangarh (The then Judicial Magistrate First Class Bilaspur).	Raigarh
2.	Sushri Prisilla Ekka, Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Smt. Sarojnand Das, Judicial Magistrate First Class.	Durg (The then Judicial Magistrate First Class Janjgir).	Durg
4.	Shri Alok Kumar Singh, Judicial Magistrate First Class.	Sakti (The then Judicial Magistrate First Class, Ambikapur).	Bilaspur
5.	Smt. Kirtidan Xalxo, Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja
6.	Shri Leeladhar Sarthi, Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja
7.	Smt. Sunita Toppo, Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2006.

क्रमांक 1490/तीन-10-8/2000-II.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ अपनी अधिसूचना क्रमांक 5401/तीन-10-8/2000-भाग दो, दिनांक 8 नवम्बर 2005 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 2 में तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) व (4) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां संस्थापित की जावें, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय	
		बैठने के स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7
		2. जांजगीर	1
		3. मुंगेली	1
		4. सक्ती	1
		5. पेण्ड्रारोड	1

Bilaspur, the 7th March 2006

No. 1490/III-10-8/2000-II.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby make the following amendment in its Notification No. 5401/III-10-8/2000-II dated 8th November, 2005, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table for the serial No. 2 and further existing entries relating thereto as shown in column Nos. (3) and (4) the following entries be substituted, namely :—

TABLE

Sr. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judge	
		Place of sitting	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	7
		2. Janjgir	1
		3. Mungeli	1
		4. Sakti	1
		5. Pendra Road	1

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.